आदेश

7. प्रार्थी मनीराम गोद पुत्र श्री रामूराम, जाति जाट, निवासी हरसोलाव, तहसील मेड़ता, जिला नागौर को उसके खातेदारी खेत खसरा नम्बर 3427 रकबा 1.92 हैक्टेयर की जमीन में आने–जाने हेतु मौजा हरसोलाव के खसरा नम्बर 3426 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 में से पटवारी हल्का व निरीक्षक भू–अभिलेख हरसोलाव की रिपोर्ट अनुसार रकबा 9 मीटर चौड़ा × 20 मीटर लम्बा अर्थात 180 वर्गमीटर अर्थात 0.018 हैक्टेयर बनता है, भूमि को गै.मु. राजकीय रास्ता घोषित किया जाता है। जो आम जनता के उपयोग व उपभोग में काम लिया जा सकेगा। तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./251–ए/2018/2016 दिनांक 13.12.2018 एवं आई.एल.आर. हरसोलाव तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.11.2018 निर्णय का भाग होगी। प्रार्थी डीएलसी दर 8,91,009/– रूपयें प्रति हैक्टेयर की तीन गुणा राशि की प्रीमियम राशि न्यायालय हाजा में जमा करवाये।

8. तहसीलदार मेड़ता प्रीमियम राशि जमा होने के पश्चात यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा कोई आदेश, विधिक बाधा नही हो, भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में राजकीय गै.मु. रास्ता अंकन करना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
(राज.)
मेड़ता

Scanned by CamScanner